

बिहार सरकार -
स्वास्थ्य निदेशालय
आदेश

आ०सा०-६ / एन०-०८-२७० / २०१८-

/ पटना-१५, दिनांक-

विभागीय आदेश ज्ञापाक-1252(6), दिनांक-15.11.2018 द्वारा नर्सेज ट्रेनिंग रिकोग्निशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4(ii) के आलोक में दारस राजनाम फाउण्डेशन ट्रस्ट, न्यू अजीमाबाद कॉलोनी, महेन्द्र, पटना-८००००६ द्वारा प्रस्तावित नजीरुल हसन इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, सोनिहार, जिला-खगड़िया-८४८२०१ के नाम से ए०एन०एम० स्कूल की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान किया गया।

2 - विभागीय आदेश ज्ञापाक-1412(6), दिनांक-07.12.2018 द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के संबंध में डॉ० उदय कुमार गुप्ता, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। विशेषज्ञ समिति द्वारा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उपलब्ध भौतिक संसाधनों, मानव संसाधनों तथा अन्य सुविधाओं की जांच एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

3 - विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त नजीरुल हसन इन्स्टीच्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, सोनिहार, जिला-खगड़िया-८४८२०१ को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-4 (iii) के आलोक में ए०एन०एम० प्रशिक्षण प्राठ्यक्षम में ५५ (पचपन) सीटों पर नामांकन लेने हेतु एक सत्र के लिए निम्न शर्तों पर मान्यता प्रदान की जाती है :-

- (क) संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों का अक्षरश पालन करते हुए सचालित की जायेगी। सिविल सर्जन, खगड़िया समय-समय संस्थान की गुणवत्ता का निरीक्षण करेंगे तथा भारतीय उपचर्या परिषद की अहताओं की अवहलन होते ही संस्थान की मान्यता रद्द कर दी जायेगी।
- (ख) नर्सेज ट्रेनिंग रिकोग्निशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एकजामिनेशन्स ऑफ नर्सिंग रूल्स 1997 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा लागू की गयी नियमावली में निहित प्रावधानों अनुपालन संस्थान द्वारा किया जायेगा।
- (ग) उक्त संस्थान भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा निर्गत अधितन दिशा-निर्देश के आलो में अपना निरीक्षण करा लेंगे।
- (घ) कुल आवटित सीटों में से ५०% छात्राओं का नामांकन सरकार के निर्णयानुसार की जायेगी।
- (ङ) संस्थान विहार परिचारिका निबधन परिषद, पटना से संबद्धता प्राप्त कर लेगी। सत्र का निर्धारित विहार परिचारिका निबधन परिषद, पटना द्वारा किया जायेगा तथा सत्र निर्धारण के उपरान्त ही संस्थान छात्र/छात्राओं का नामांकन प्रारंभ करेंगे।
- (च) संस्थान की प्रशासनी इकाई में (i) धोत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुगेर प्रमडल, मुगेर (ii) सिविल सर्जन, खगड़िया तथा (iii) अपर मुख्य धिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया को संदर्भ मनोनीत किया जाता है।

4 - आदेश में सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

80/-

(डॉ० आर०डी० रंजन)

निदेशक प्रमुख

स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापाक : ६ / एन०-०८-२७० / २०१८-३६५(६)

पटना दिनांक ०९/०३/१९

प्रतिलिपि:- निदेशक, दारस सलाम फाउण्डेशन ट्रस्ट, न्यू अजीमावाद कॉलोनी, महेन्द्र पटना-८००००६ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली/निर्बन्धक, विहार परिचारिका निकाय परिषद, पटना/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मुगेज, प्रमडल, मुगेज/रिहिन सर्जन, खगड़िया/अपर मुख्य विकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनाथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, रवास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विभाग सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- परीक्षा नियन्त्रक, स्वास्थ्य विभाग, विहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, विहार पटना को विभागीय बेदसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
स्वास्थ्य सेवाएँ, विहार पटना

RECOGNITION LETTER